संख्या: 68/2020/1661/छप्पन-2020-04/2005

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के ओ0एल0एस0 सर्वे रिपोर्ट में चिन्हित श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री शिवजटा चौबे के मकान की ऊँचाई कम किए जाने हेतु निर्माण कार्यों की मूल्यांकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 256/आर०सी०एस०-2020-ए-2/2018 दिनांक 14 सितम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के ओ0एल0एस0 सर्वे रिपोर्ट में चिन्हित श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री शिवजटा चौबे के मकान की ऊँचाई कम किए जाने हेतु निर्माण कार्यों की मूल्यांकित धनराशि रू0 7,36,510/- (रूपए सात लाख छत्तीस हजार पांच सौ दस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है|

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के ओ0एल0एस0 सर्वे रिपोर्ट में चिन्हित श्री विन्ध्याचल पुत्र श्री शिवजटा चौबे के मकान की ऊँचाई कम किए जाने हेतु निर्माण कार्यों की मूल्यांकित धनराशि रू0 7,36,510/- (रूपए सात लाख छत्तीस हजार पांच सौ दस मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना पर रू0 7,36,510/- (रूपए सात लाख छत्तीस हजार पांच सौ दस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा

III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा|

IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा |

VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है |

VII. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

VIII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |

IX. जिलाधिकारी, आजमगढ़ और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनरल मैनेजर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य किया जाए |

X. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कृपया रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, आजमगढ़ से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे |

6- उपर्युक्त पर होने वाला अनुदान संख्या- 38 चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व लेखा- लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7-1002/दस-2020 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं |

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्याः 68/2020/1661(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, आजमगढ़ ।

(4) जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़ ।

(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।